कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :***ukmssbdun@gmail.com***; Website : ***www.ukmssb.org***

पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 23 / 2024–25 / 524 दिनांक– 15 जुलाई, 2025

असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) परीक्षा– 2025

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के अन्तर्गत असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) के रिक्त 16 पदों (बैकलॉग सहित) पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन में आंशिक संशोधन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 23 / 2024–25 / 521, दिनांकः 14 जुलाई, 2025 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के अन्तर्गत असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) के रिक्त 16 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

प्रकाशित विज्ञापन के नियम 5 में शैक्षिक अर्हता ''एम0एस0सी0 नर्सिंग के साथ 03 वर्ष का अनुभव। पी0एच0डी0 (नर्सिंग) वांछनीय।'' अंकित किया गया है। जिसे **''एम0एस0सी0 नर्सिंग के साथ 03 वर्ष का अध्यापन कार्य का अनुभव। पी0एच0डी0 (नर्सिंग) वांछनीय।''** पढा व समझा जाए।

अनुभव के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अनुभव प्रमाण पत्र मात्र नर्सिंग कॉलेज / नर्सिंग स्कूल के मान्य होंगे। अनुभव प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जो कि आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक विभाग / संस्था के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया गया हो। कृते का उल्लेख करते हुए निर्गत किये हुए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। सक्षम प्राधिकारी नर्सिंग कॉलेज / नर्सिंग स्कूल के विभागाध्यक्ष / प्रधानाचार्य / प्राचार्य / रजिस्ट्रार ही होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी किस तिथि को नियुक्त हुआ और किस तिथि तक निरन्तर कार्यरत रहा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अनुपस्थिति के कारण पुनः कार्यभार ग्रहण किया गया है तो अनुपस्थिति अवधि को अनुभव में आंगणित नहीं किया जायेगा। **मात्र अध्यापन का कार्य का अनुभव स्वीकार किया जायेगा, क्लीनिकल का अनुभव स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है और उनके पास अध्यापन का 03 वर्ष का अनुभव नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा**

ह0 / –
(प्रदीप जोशी)
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।